आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
27.12.24	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** R.M.R. Case No.- 14/2023-24 अनाउल अंसारी एवं अन्य **बनाम** टुरन उर्फ पुरन मियाँ **आदेश** यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-34/2020-21 में दिनांक–17.10.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय, जामताड़ा क वाद R.E. Case No.-34/2020-21 में दिनांक–17.10.2023 के द्वारा विपक्षी, अनाउल मियाँ एवं अन्य को प्रश्नगत भूमि में अवस्थित मकान को छोड़कर शेष भूमि से उच्छेद किया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। इनका कहना है कि गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा–लोहरबंधा, खाता संख्या–1, दाग संख्या–61, रकवा–1.22 एकड़ जमीन के खतियानी रैयत मेहर मियाँ एवं मधु मियाँ, पिता–बोचु मियाँ द्वारा के तथाकथित उत्तराधिकारी द्वारा अनाउल मियाँ एवं अन्य को अंश रकवा–22 डी0 जमीन से उच्छेदी हेतु आवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय, जामताड़ा R.E. Case No.-34/2020-21 द्वारा दिया गया। प्रश्नगत जमीन खतियानी रैयत मेहर अली मियाँ के साथ अपीलकर्त्ता अनाउल अंसारी एवं अन्य के दादाजी के साथ विशिष्ट संबंध, अच्छी मित्रता एवं सौहार्दपूर्ण संबंध रहने के कारण उन्हें मकान बनाने हेतु अपने हिस्सा का जमीन दान स्वरूप दिया गया था। मेहर अली मियाँ द्वारा अपीलकर्त्ता के पूर्वज शकिल मियाँ को 2 माह 1943 बंगला सन् को दुर्गा प्रसाद सिंह के बनाये हुआ कुर्फा पट्टा से प्रश्नगत जमीन बसौड़ी एवं खलिहान उद्देश्य से बन्दोबस्ती दिया गया था। शकिल मियाँ के बन्दोबस्ती प्राप्त होते ही जमीन पर मेहर अली मियाँ के सहमति से मिट्टी का चाहरदिवारी एवं मिट्टी का एक घर बनाने के पश्चात् 1937 ई0 से लगातार उनके उत्तराधिकारी एवं अपीलकर्त्तागण दखल कब्जा में है। वर्तमान में अपीलकर्त्तागण द्वारा उक्त जमीन पर ईंट का घर एवं चाहरदिवारी के भीतर भिन्न–भिन्न तरह के पेड़ लगाया गया। कालातंर में मिट्टी के बने चाहरदिवारी को ईंट से पक्के चाहरदिवारी में परिवर्तित किया गया। इस प्रकार वे संताल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 एवं 1972 के रेगुलेशन–III के धारा–27 के तहत वे 1949 ई0 से 12 वर्ष पूर्व से दखल कब्जा रहने के कारण वे Adverse Possession में है। ऐसे स्थिति में अपीलकर्त्तागण को प्रश्नगत भूमि से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। पुनः अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता कहना है कि प्रश्नगत मकान एवं शेष भूमि (खामार) सैकड़ों पेड़ सहित एक ही परिसर में अवस्थित है, में से मकान को Adverse Possession में एवं शेष भूमि को Adverse Possession में नहीं मानते हुए खारिज किया जाना विज्ञ अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा दिया गया आदेश न्यायसंगत नहीं है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-34/2020-21 में दिनांक–17.10.2023 को पारित आदेश को निरस्त करने हुते अनुरोध किया गया। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि उत्तरवादीगण गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा–लोहरबंधा, खाता संख्या–1, दाग संख्या–61, रकवा–1.22 एकड़ जमीन के खतियानी रैयत मेहर मियाँ एवं मधु मियाँ, पिता–बोचु मियाँ के उत्तराधिकारी है। टुरन उर्फ पुरन मियाँ गत सर्वे खतियानी में अभिलेखित खतियानी रैयत मेहर अली का पोता एवं गत सर्वे खतियानी रैयत में अभिलेखित खतियानी रैयत मुध मियाँ, पिता–स्व0 बोचु मियाँ के पुत्र जलील मियाँ एवं जलील मियाँ के तीन पुत्र आयुब मियाँ, रामजान मियाँ एवं सहाबुद्धीन मियाँ है। मेहर अली के मृत्यु के	

पश्चात् प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी दखल में है। किसी साल अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि पर जबरदस्ती दखल कब्जा कर लिया गया, जो कि मेहर अली के हिस्से का था। जिस कारण टुरन उर्फ पुरन मियाँ द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 के धारा–20 एवं 42 के तहत R.E. Case No.-34/2020-21 में दायर किया गया। विपक्षी को कारणपृच्छा प्रस्तुत सूचना निर्गत किया गया कि उसके द्वारा प्रश्नगत जमीन को खाली क्यों नहीं किया गया। लेकिन अपीलकर्त्ता द्वारा जबाव दिया गया कि उनके नाना शकिल मियाँ द्वारा मेहर अली से प्राप्त दाग सं0–61 पर 61 डी0 जमीन के दखल कब्जा जमीन को 2 माघ 1343 बंगला सन् को दुर्गा प्रसाद सिंह के लिखित कुर्फा पट्टा से प्राप्त हुआ था। लेकिन मेहर अली अपने भूमि के लिए कोई कुर्फा पट्टा किसी के द्वारा नहीं दिया गया। उत्तरवादी के अधिवक्ता द्वारा विज्ञ अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा R.E. Case No.-34/2020-21 में दिनांक–17.10.2023 को पारित आदेश को संपुष्ट करते हुए अपील आवेदन खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं संलग्न अन्य कागजातों का अलोकन किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-34/2020-21 में दिनांक–17.10.2023 को पारित आदेश में अंकित है कि "विपक्षी द्वारा विवादित संबंधित भूखण्ड पर मकान का निर्माण किया गया है। तथापि शेष भूमि पर उनका दखल संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः विपक्षी को उक्त भूमि में अवस्थित मकान को छोड़कर शेष भूमि से उच्छेद किया जाता है।" इस प्रकार मौजा–लोहरबंधा, खाता संख्या–1, दाग संख्या–61 कुल रकवा–0.61 एकड़ जमीन का खतियानी रैयत मेहर अली का वंशज/उत्तराधिकारी उत्तरवादी टुरन उर्फ पुरन मियाँ का कहा गया, पुनः प्रश्नगत जमीन के अंश रकवा पर मकान अवस्थित है, जिसे छोड़कर शेष भूमि से अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा अनाउल मियाँ एवं अन्य को उच्छेद किया गया जबकि प्रश्नगत मकान एवं शेष भूमि पेड़ सहित (खामार) एक ही परिसर में अवस्थित है, कहा गया।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-34/2020-21 में दिनांक–17.10.2023 को पारित आदेश निरस्त करते हुए वाद पूनर्विचार हेतु वापस (Remand) किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
LTM
AN
10/1/25

Seen.
10/1/25

Seen
Adv
17/01/25

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2025.01.17 18:23:12 +05:30
Location: 192.168.43.106